

समस्त पत्र—व्यवहार “कुलसंघिय” को ही संबोधित किया जाये।
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : यूनिवर्सिटी
फेक्स : 731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर-452001

क्रमांक: / NSS / 81

दिनांक:—06 / 06 / 2019

प्रति,

प्राचार्य/निदेशक
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से सम्बद्ध
समस्त अशासकीय महाविद्यालय

विषय:— महाविद्यालयों में रा.से.यो. स्वपोषित इकाई के गठन के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है सत्र 2014-2015 से शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/निरन्तरता के लिए अशासकीय महाविद्यालयों में जिनमें छात्र संख्या 200 से अधिक है में रा.से.यो. की स्वपोषित इकाई का गठन अनिवार्य है इसके लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं से 10 रु. प्रतिमाह फीस लेनी है तथा छात्र/छात्राओं से एकत्रित समस्त फीस रा.से.यो. प्रकोष्ठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जमा करनी है। फीस कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. को देय द्वापट/चेक या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता क्रमांक 34026666661 IFSC – SBIN0030127 में NEFT से कर सकते हैं।

जिन संस्थाओं में कुल छात्र संख्या 200 से कम है वो शासन द्वारा पोषित रा.से.यो. इकाई के गठन हेतु दिनांक 30/05/2019 तक कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को आवेदन करें।

स्वपोषित इकाई के संचालन के सामान्य नियम निम्नानुसार है:—

(1) जिन महाविद्यालयों में 200 से 400 तक की छात्र संख्या है, उन्हे एक रा.से.यो. स्पोषित इकाई का गठन करना है। तदउपरान्त 400 से अधिक संख्या पर प्रत्येक 400 छात्र संख्या पर एक इकाई का गठन करना है। उदाहरण के तौर पर किसी संस्था में अध्ययनरत कुल छात्र संख्या 1100 है तो वहाँ पर रा.से.यो. की 03 इकाईयाँ गठन होगी तथा प्रत्येक इकाई के लिए एक प्रभारी शिक्षक जसका पद “कार्यक्रम अधिकारी” होगा, नियुक्त करना होगा।

(2) 400 छात्र संख्या वाली संस्था में $120 \times 400 =$ रु. 48000/- रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा करने होंगे तथा रु. 48000/- में से रु. 22500/- 07 दिवसीय शिविर हेतु रु. 8650/- नियमित गतिविधि हेतु तथा रु. 500/- प्रतिमाह (अधिकतम रु. 6000/- प्रतिवर्ष) कार्यक्रम अधिकारी के मानदेय हेतु विश्वविद्यालय रा.से.यो. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किया जावेगा। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा राशि 22500/- + 8650/- 6000/- = कुल राशि 37150/- पुनः संस्थाओं को प्रदान की जावेगी।

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है अतः रा.से.यो. गतिविधियों पर आपके द्वारा खर्च की गई राशि का सम्पूर्ण हिसाब 28 मार्च से पूर्व रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा कराना होता है। विश्वविद्यालय के अंकेक्षण विभाग द्वारा ऑडिट होने पर समायोजन पत्रक प्रदान किया जाता है। यदि संस्था द्वारा आवंटित राशि से कम खर्च किया गया है तो शेष राशि विश्वविद्यालय को लौटानी होती है।

(4) आवंटित राशि रु. 37150/- को खर्च करने के शासन के नियम:—

(A) 07 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर के लिए प्रति इकाई अधिकतम रु. 22500/- (रु. 450/- प्रति छात्र की दर से अधिकतम 50 छात्र/छात्राओं/शिक्षकों के लिए) खर्च कर सकते हैं। छात्र संख्या 50 से कम होने पर छात्र संख्या X 450/- का खर्च मान्य होगा। व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी छात्र/छात्राओं की हस्ताक्षर युक्त सूची लगानी होती है।

(B) नियमित गतिविधियों पर रु. 8650/- निम्नानुसार खर्च किये जाएँगे:—

- (i) प्रति छात्र रु. 10/- का स्वअल्पहार एक गतिविधि पर अधिकतम रु. 1000/- तथा वर्ष भर में रु. 5000/- खर्च कर सकते हैं।
- (ii) 02 एक दिवसीय शिविर 50-50 छात्र संख्या के जिस पर प्रति शिविर 1000/- (प्रति छात्र रु. 20/- 50/- छात्र/छात्राओं के लिए) खर्च किये जा सकते हैं। व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी छात्र/छात्राओं की हस्ताक्षर युक्त सूची लगानी होती है।
- (iii) शेष रु. 1650/- में आफिस क्लर्क का मानदेय रु. 500/- फोटोग्राफ/स्टेशनरी+अन्य आकस्मिक पर रु. 850/- तथा स्टोर सामग्री के लिए रु. 300/- आवंटित किये गये हैं।
- (C) वर्ष भर में कम से कम 150 घण्टे की नियमित गतिविधियाँ तथा 07 दिवसीय शिविर के आयोजन करने तथा समस्त लेखों का तथा कार्यक्रमों का प्रतिवेदन समय पर विश्वविद्यालय रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा करने पर रु. 500/- प्रतिमाह कुल रु. 6000/- प्रति वर्ष कार्यक्रम अधिकारी को जेब खर्च भत्ता रा.से.यो. कार्यक्रम अधिकारी को प्रदान किया जावेगा।
5. पूर्व के वर्षों में यदि आपकी संस्था द्वारा संस्था की कुल छात्र संख्या X रु. 120/- विश्वविद्यालय के रा.से.यो. प्रकोष्ठ में जमा नहीं किये हो तो तत्काल कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को देय ड्रापट/चेक से जमा करावे।
6. नवीन सत्र 2019-20 के लिए संस्था द्वारा रा.से.यो. फीस 15 सितम्बर 2019 तक अनिवार्यतः (रु. 120/- \times संस्था की कुल छात्र संख्या) आवेदन पत्र के साथ जमा करना है। रा.से.यो. स्वपोषित इकाई के गठन के लिए आवेदन पत्र संलग्न है।
7. 400 से अधिक छात्र संख्या होने पर प्रत्येक 400 संख्या पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
8. रा.से.यो. से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए www.dauniv.ac.in/NSS पर Visit करें या डॉ. प्रकाश गढ़वाल कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. से मो. 8602695352 पर सम्पर्क करें।

संलग्न :— स्वपोषित इकाई के लिए आवेदन पत्र प्रारूप।

आदेशानुसार

कुलसचिव

- प्रतिलिपि :—
- (1) राज्य एन.एस.एस. अधिकारी, रासेयो म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - (2) क्षेत्रीय निदेशक युवा एवं कार्यक्रम खेल मंत्रालय, रासेयो भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - (3) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ तथा सम्बद्धता/नवीनीकरण करते समय आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें पूर्व के वर्षों में भी इस बाबत आपसे निवेदन किया जा चुका है।
 - (4) निज सचिव, मा. कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
 - (5) निज सहायक, कुलसचिव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
 - (6) विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर इन्दौर की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

कार्यक्रम समन्वयक रासेयो
देवी अहिल्या व.वि., इन्दौर

**PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF
SELF FINANCING UNIT (SFU) UNDER NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS)**

| | | |
|----|---|--|
| 1 | <i>Name of the Institution/College/School With Phone No./Fax/Email</i> | |
| 2 | <i>Postal Address of the Institution With Pin code</i> | |
| 3 | <i>Name of the Principal With Contact No. & Email ID</i> | |
| 4 | <i>Name of the University/Directorate</i> | |
| 5 | <i>Total Strength of the Institution/College</i> | |
| 6 | <i>Total Strength of Students in +2 Level (Applicable to school only)</i> | |
| 7 | <i>The Year of existence of the Institution</i> | |
| 8 | <i>Whether Institution is recognized ?</i> | |
| 9 | <i>Past experience of the Institution in Social work</i> | |
| 10 | <i>Whether Institution already have Regular NSS Units ? If yes, indicate the No. of Unit (s)</i> | |
| 11 | <i>No. of NSS Units required by the Institution</i> | |
| 12 | <i>Name of the proposed NSS Programme Officers. Contact with E-mail Address</i> | |
| 13 | <i>Whether the Institution publish Annual Report ? If yes, please attach a copy or current report.</i> | |
| 14 | <i>Specify whether the Institution earlier had any NSS Unit. If yes, give reasons of discontinuation of the Unit.</i> | |

Signature of Principal